न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 209/2025 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/419**
दायर दिनांक :– 29.07.2025 **निर्णय दिनांक :– 19.09.2025**

1. मोहनी पुत्री हरूराम जाति विश्नोई निवासी जाम्बा तहसील बाप जिला फलोदी
2. हजारीराम पुत्र हरूराम जाति विश्नोई निवासी जाम्बा तहसील बाप जिला फलोदी
3. हरीराराम पुत्र फुलाराम जाति विश्नोई निवासी जाम्बा तहसील बाप जिला फलोदी
4. श्रवणकुमार पुत्र बीरबलराम जाति विश्नोई निवासी जाम्बा तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थीगण

बनाम

1. परमेश्वरी पत्नी पपूराम जाति विश्नोई निवासी जाम्बा तहसील बाप जिला फलोदी
2. लक्ष्मी पत्नी राधाकिशन जाति विश्नोई निवासी जाम्बा तहसील बाप जिला फलोदी
3. रूखमणी पत्नी भागीरथ जाति विश्नोई निवासी जाम्बा तहसील बाप जिला फलोदी
4. शंकरलाल पुत्र मानाराम जाति विश्नोई निवासी जाम्बा तहसील बाप जिला फलोदी
5. परमीला पत्नी रोशनलाल जाति विश्नोई निवासी जाम्बा तहसील बाप जिला फलोदी
6. रोशनी पत्न पूनमचंद जाति विश्नोई निवासी जाम्बा तहसील बाप जिला फलोदी
7. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री ओमप्रकाश गोदारा अधिवक्ता प्रार्थीगण
2 श्री विजय तंवर अधिवक्ता अ.सं. 1 ता 6

सहायक कलेक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.)

–:: निर्णय ::–

प्राथीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध पूर्व में मजबूत आधारों का एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। उक्त वाद में वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजात से प्रार्थीगण का वाद प्रथम दृष्टया ही साबित है तथा उक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा व काश्त होने से सुविधा का तुलनात्मक संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि प्रार्थीगण को अपने हिस्से की कब्जा काश्त की भूमि से अप्रार्थीगण द्वारा बेदखल कर दिया जाता है तो उससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मुल्यांकन रूपयों में किया जाना संभव नहीं है। इस प्रकार नैसर्गिक न्याय के तीनों आधारभूत सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में होने से उक्त वाद में प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूरी–पूरी उम्मीद है। प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी का खेत ग्राम गणेशनगर पटवार हल्का चाखू तहसी बाप के खसरा नम्बर 339 रकबा 52.5281 हैक्टेयर भूमि आई

19/09/25

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

हुई है। जिस भूमि पर वक्त बदोबस्त से ही प्रार्थीगणों का कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिसमें प्रार्थीगण की रहवासीय घर, पानी के टांके बने हुवे है तथा अपनी भूमि में प्राकृतिक पैदावार लेते आ रहे है। प्रार्थीगण का पीढियों से कब्जा व काश्त चला आ रहा है, जिसमें प्रार्थीगणों का रहवासी घर, पानी के टांके बने हुए है तथा अपनी भूमि में प्राकृतिक पैदावार लेते आ रहे है। प्रार्थीगण का पीढीयों के कब्जा व काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थीगण जो कि प्रार्थीगणों के रिश्ते में भाई है। जिनका खातेदारी का खेत जिसके मूल खसरा नम्बर 342 कुल रकबा 39.9344 हैक्टेयर भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज चली आ रही है। तथा जिस भूमि का अप्रार्थीगण द्वारा आपसी बंटवारा कर लेने से राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से खसरा नम्बर 449/342 रकबा 3.6422 हैक्टेयर खसरा नम्बर 454/342 रकबा 3.6422 हैक्टेयर, अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से खसरा नम्बर 450/342 रकबा 3.6422 हैक्टेयर खसरा नम्बर 461/342 रकबा 3.6422 हैक्टेयर, अप्रार्थी संख्या 3 के नाम से खसरा नम्बर 549/342 रकबा 3.6422 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 460/342 रकबा 3.6422 हैक्टेयर, अप्रार्थी संख्या 4 के नाम खसरा नम्बर 451/342 रकबा 1.4300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 452/342 रकबा 2.0824 हैक्टेयर, अप्रार्थी संख्या 5 के नाम से खसरा नम्बर 455/342 रकबा 3.6422 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 456/342 रकबा 3.6422 हैक्टेयर, अप्रार्थी संख्या 6 के नाम से खसरा नम्बर 457/342 रकबा 3.6422 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 458/342 रकबा 3.6422 हैक्टेयर राजस्व ग्राम गणेशनगर पटवार हल्का चाखू तहसील बाप जिला फलोदी में आया हुआ है। प्रार्थीगणों का तथा अप्रार्थीगणों का शुरू से ही कब्जा व काश्त अलग–अलग ही चला आ रहा है लेकिन अभी अप्रार्थीगणों द्वारा अपनी भूमि को बिना कोई नाप जोख करवाये प्रार्थीगण का जहां पीढियों से कब्जा काश्त चला आर रहा है उस स्थान पर प्रार्थीगण द्वारा वर्तमान में गवार की काश्त कर रखी है उस स्थान पर कब्जा करने के आशय से टैक्टर लेकर आये तथा प्राथ्रीगण को धमकी दी की आप यहा से अपना कब्जा छोड़ दो हम तो अपकी पूर्व से की गई फसल की बुवाई पर जबरदस्ती कब्जा करेंगे जबकि अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त अपनी पीढियों से चले आ रहे कब्जे के स्थान पर ही है। लेकिन प्रार्थीगण को तंग पेरशान करने के आशय से प्रार्थीगण को बेदखल करने को आमदा है। प्रार्थीगण की कब्जा काश्त की भूमि`स अप्रार्थीगण बेदखल कर देंगे तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसका मूल्याकंन रूपयों में नहीं किया जा सकता है। इसलिए वर्तमान प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थायी निषेघाज्ञा प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 की और से अधिवक्ता श्री विजय तंवर ने जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 ने जवाब प्रार्थना पत्र मे बताया कि ग्राम गणेशनगर के खसरा नम्बर 339 रकबा 52.4171 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीगण की खातेदारी की स्थित है। मूल खसरा नम्बर 342 रकबा 39.9344 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थीगण की खातेदार की भूमि स्थित है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के अलग–अलग खसरान् की होकर दोनों का अपना कब्जा काश्त अलग अलग चला आ रहा है। अप्रार्थीगण के विरूद्व जारी

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, नजरी नक्शा इत्यादि का अवलोकन किया गया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओ के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है–

प्रथम दृष्टया मामला

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वाश करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

वादगस्त भूमि की जमाबंदी सम्वत 2076–2079 ग्राम गणेशनगर के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के नाम से अलग–अलग खसरान् की भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के खसरे चिपते है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड अनुसार अपनी–अपनी भूमि में कब्जा काश्त है। प्रार्थी द्वारा विपरित खसरा की भूमि पर कब्जा होने के तथ्यों का प्रार्थना पत्र में कोई उल्लेख नहीं किया है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के जमाबंदी रिकार्ड अनुसार अपने–अपने खसरान् की भूमि में काबिज होने के स्वीकृत कथन है। प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण के मध्य न्यायालय हाजा में वाद अन्तर्गत 188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 जैरकार है। वादीगण के वाद में तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य सुनवाई उपरान्त कब्जा काश्त का गुणावगुण पर ही निर्धारण किया जा सकता है। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में भली भांति साबित नहीं होता है।

सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षी को।

प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र और जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के नाम से अलग–अलग खसरान् की भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के खसरे चिपते है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड अनुसार अपनी–अपनी भूमि में कब्जा काश्त है। प्रार्थी द्वारा विपरित खसरा की भूमि पर कब्जा होने के तथ्यों का प्रार्थना पत्र में कोई उल्लेख नहीं किया है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के जमाबंदी रिकार्ड अनुसार अपने–अपने खसरान् की भूमि में काबिज होने के स्वीकृत कथन है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 जारी की जाती है तो अप्रार्थीगण को अपने प्राथमिक अधिकारों यथा आराजी के उपयोग–उपभोग आदि सुविधाओं से वंचित हो सकते है। अतः सुविधा का सन्तुलन बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है।

अपूर्णीय क्षति

अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी 'तात्विक क्षति' से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नहीं की जा सकती।

चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थीगण का दावा अन्तर्गत धारा 188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विचाराधीन है और प्रथम दृष्ट्या मामला और सुविधा का सन्तुलन दोनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं हुवे है।

अतः न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थीगण के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णनीय क्षति साबित नहीं होने से अस्थाई व्यादेश का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णय शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.09.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर जिला फलोदी (राज.) सत्यमेव जयते

19/9/25

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)